कार्यालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर–द्वितीय

कमांक – 3039 दिनांक– 30.09.2024

– कार्यालय आदेश –

(रिमाण्ड कार्य/धारा 196 बीएनएसएस (176 द.प्र.सं.) ड्यूटी, अक्टूबर 2024)

मैं, मांडवी राजवी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर–द्वितीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) (धारा 15(2) द.प्र.सं.) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करती हूं कि निम्नलिखित तालिका के कॉलम नं. 02 में अंकित **माह अक्टूबर, 2024 के राजकीय अवकाशों व दीपावली अवकाशों** में जयपुर महानगर–द्वितीय की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड संबंधी कार्य, धारा 183 बीएनएसएस (धारा 164द.प्र.सं.) के बयान, मृत्युकालिक कथन, धारा 196 बीएनएसएस (धारा 176 द.प्र.सं.) के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) कॉलम सं. 03 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम नं. 04 में अंकित है, करेंगे :–

क.सं.	दिनांक अवकाश	न्यायालय का नाम	नाम अधिकारी / मोबाईल न. (श्री / श्रीमती / सुश्री)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	02.10.2024	स्पे.जे.एम.(NI Act) कम–05, जयपुर महानगर–II	तेजकिरण कौर, 9041390999
2	03.10.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 01, जयपुर महानगर–II	जया अग्रवाल, 9509941750
3	06.10.2024	स्पे.जे.एम.(NI Act) कम–07, जयपुर महानगर–II	गुरजोत सिंह, 9914925025
4	11.10.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 14, जयपुर महानगर–II	आयुषी गोयल, 9461623322
5	12.10.2024	स्पे.जे.एम.(NI Act) कम–04, जयपुर महानगर–II	उपासना कांवट, 8826845544
6	13.10.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 05, जयपुर महानगर–II	विजय कुमार, 9007993777
7	20.10.2024	स्पे.जे.एम.(NI Act) कम–09, जयपुर महानगर–II	रिद्म अनेजा, 7508676900
8	26.10.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 06, जयपुर महानगर–II	अंजलि जानू, 9772085497
9	27.10.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 09, जयपुर महानगर–II	रश्मि दाधीच, 6377396252
10	30.10.2024	स्पे.जे.एम.(NI Act) कम–02, जयपुर महानगर–II	नेहा खरे, 8118861119
11	31.10.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 10, जयपुर महानगर–II	अनिल चावला, 787731610
12	01.11.2024	स्पे.जे.एम.(NI Act) कम–01, जयपुर महानगर–II	फैसल खान, 7822911111
13	02.11.2024	स्पे.जे.एम.(NI Act) कम–06, जयपुर महानगर–II	सुरेश कुमार सेन, 461578182
14	03.11.2024	स्पे.जे.एम.(NI Act) कम–11, जयपुर महानगर–II	ललित मीणा, 8280113991

नोट–(1) माह **अक्टूबर 2024/दीपावली अवकाशों** में उपरोक्तानुसार ड्यूटी हेतु अधिकृत अधिकारीगण में से किसी भी अधिकारी के अत्यावश्यक कारणों से अवकाश पर रहने पर/स्थानांतरण होने से पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने पर/आकस्मिक रूप से अवकाश घोषित होने पर/माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा कार्य स्थगित किये जाने पर आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड संबंधी कार्य, धारा 183 बीएनएसएस (धारा 164 द.प्र.सं.) के बयान, मृत्युकालिक कथन, धारा 196 बीएनएसएस(धारा 176 द.प्र.सं.) के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) की **रिजर्व रिमाण्ड ड्यूटी** हेतु निम्न अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है। रिजर्व ड्यूटी हेतु अधिकृत निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा उनके नाम के सामने अंकित अवधि के दौरान कार्यदिवसों में धारा 196 बीएनएसएस (धारा 176 द.प्र.सं.) के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य भी निष्पादित किया जावेगा।

1	01.10.2024 से 11.10.2024 तक	न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 07, जयपुर महानगर–II	लीमा यादव, 8128112838
2	12.10.2024 से 22.10.2024 तक	स्पे.जे.एम.(NI Act) कम–03, जयपुर महानगर–II	पूजा मीणा, 8302601080
3	23.10.2024 से 03.11.2024 तक	स्पे.जे.एम.(NI Act) कम–08, जयपुर महानगर–II	रविन्द्र कुमार, 9414654799

नोट–(2) नोट सं.1 द्वारा रिजर्व रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत अधिकारीगण में से किसी अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में उस अधिकारी के आगामी कम पर अंकित अधिकारी उपरोक्त ड्यूटी कार्य सम्पादित करेंगे तथा अंतिम कम पर अंकित अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में कम 1 पर अंकित अधिकारी व उसके उपरांत पश्चातवर्ती अधिकारीगण के द्वारा इसी चकानुसार आवश्यक फौजदारी कार्यों को सम्पादित किया जावेगा।

नोट–(3) न्यायालय में बैठने का **समय प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक** रहेगा। अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का स्थान व अन्य व्यवस्थायें पूर्ववत रहेंगी। कॉलम सं. 4 में अंकित पीठासीन अधिकारी के द्वारा अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति/अनुमति चाहे जाने की स्थिति में वे अपने स्थान पर कार्य करने हेतु अन्य अधिकारी का सहमति पत्र इस कार्यालय में प्रेषित कर स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।

नोट–(4) राजकीय अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य (रिमाण्ड ड्यूटी) हेतु अधिकृत अधिकारी के न्यायालय में बैठने के समय के अतिरिक्त उक्त ड्यूटी दिनांक को शेष समय एवं आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक उक्त आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

नोट–(5) अवकाशकालीन न्यायालय की बैठक हेतु निर्धारित समय के दौरान ही मुलजिम न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश किये जायेंगे। मुलजिम को न्यायालय में निर्धारित समय में पेश नहीं कर निवास पर पेश करने पर संबंधित पुलिस कार्मिक/अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति पश्चात ही मुलजिम को अधिकारी के निवास पर पेश किया जावेगा एवं पेश करते समय मुलजिम को सीधे निवास में प्रवेश न करवाकर बाहर रखा जावे एवं संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

नोट–(6) माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय के आदेश कमांक स्था0/2021/1603 दिनांक 07.04.2021 की अनुपालना में रिमाण्ड न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने न्यायालय के अधिकतम एक लिपिक ग्रेड–II एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जावे, यदि रिमाण्ड ड्यूटी के समय कार्य की अधिकता रहती है तथा उपरोक्त एक लिपिक ग्रेड–II व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सुचारू रूप से कार्य सम्पादन नहीं हो रहा हो तो पीठासीन अधिकारी रीडर अथवा आशुलिपिक में से किसी एक को अथवा दोनों को कार्य हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देशित कर सकेंगे एवं कर्मचारीगण को ड्यूटी की ऐवज में नियमानुसार सी.सी.एल. देय होगी।

नोट–(7) किसी कार्य दिवस में आधा दिवस अवकाश पर रहने वाले अधिकारी को ही उस दिन धारा 196 बीएनएसएस (धारा 176 द.प्र.सं.) के तहत प्राप्त जांच कार्य सुपुर्द किया जाना माना जायेगा। उक्त आधे दिवस अवकाश की अवधि में केवल अत्यावश्यक कार्य ही आगामी क्रम में अंकित न्यायिक अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा। शेष जांच एवं अन्य मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य मूल रूप से अधिकृत अधिकारी द्वारा ही पूर्ण कर रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

नोट–(8) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जयपुर महानगर–द्वितीय की सीमाओं के अधीन आने वाले आरक्षी केन्द्रों द्वारा विशिष्ट न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों में न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले अभियुक्त/अभियुक्तों के संबंध में भी नियमानुसार व विधिनुसार न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड की कार्यवाही अधिकृत अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट न्यायालय ही करेंगे।

30/9/24

(मांडवी राजवी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर–द्वितीय

कमांक – 3040 – 3051 दिनांक – 30.09.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर–द्वितीय
2. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
3. श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर–द्वितीय
4. श्रीमान आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर महानगर,
5. पुलिस उपायुक्त पश्चिम/उत्तर/मुख्यालय/यातायात, जयपुर महानगर
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज), जयपुर महानगर–द्वितीय
7. सहायक निदेशक, अभियोजन द्वितीय, जयपुर
8. दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क/कलेक्ट्रेट/चौमू/आमेर/बगरू, जयपुर
9. पुलिस कन्ट्रोल रूम, जयपुर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने हेतु
10. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह/जिला कारागृह/महिला कारागृह, जयपुर
11. नोटिस बोर्ड/कार्यालय आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली
12. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को जिला न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाईट पर अपलोड़ करें।
13. वरिष्ठ मुंसरिम, संस्थापन शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय

30/9/24

(मांडवी राजवी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर–द्वितीय